

Order Sheet [Contd]

Case No - B.A -152 / .17बी.ए.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>24-04-2017</p> <p>अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह गुर्जर द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते प्रकरण शीघ्रसुनवाई एवं एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश कर निवेदन किया कि आरोपीगण/आवेदकगण मायाराम एवं बंटी प्रकरण में समर्पण करना चाहते हैं प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया जावे।</p> <p>विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण/आरोपीगण के विरुद्ध परिवादी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी मौ के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें कि आरोपीगण/आवेदकगण के विरुद्ध वारंट जारी है। आवेदकगण/आरोपीगण प्रकरण में वांछित होने से उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपीगण का जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे।</p> <p>आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर द्वारा आरोपीगण का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा. फौ. पेश किया गया।</p> <p>आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण/आरोपीगण ग्राम सहरोली तहसील गोहद के स्थाई निवासी है उनके द्वारा कभी भी विद्युत की चोरी नहीं की गई तथा उनके द्वारा सम्पूर्ण विद्युत की राशि अदा कर दी गई है। आवेदकगण जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगे अतः आवेदकगण को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदकगण/आरोपीगण के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने विद्युत</p>	

के द्वारा धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपीगण के विद्युत कनेक्शन क्रमांक 44593 को विच्छेदित कर दिया गया था और पुनः चैक करने पर आरोपीगण द्वारा उक्त कनेक्शन जोड़कर उसका उपयोग किया जा रहा है। प्रकरण में आरोपीगण ने आज स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। यद्यपि परिवादपत्र में कनेक्शन क्रमांक 44593 के संबंध में उल्लेख है, जबकि आरोपीगण के द्वारा विद्युत कनेक्शन क्रमांक 99-4-135707 में राशि जमा करने के संबंध में रशीद पेश की गई है। इस संबंध में आरोपीगण अधिवक्ता ने व्यक्त कि दोनों नम्बर एक ही कनेक्शन है जो कि वर्तमान में बदल गया है। ऐसी दशा में उक्त कनेक्शन एक ही या अलग अलग यह गुणदोष का विषय है। प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है एवं आरोपीगण के द्वारा बकाया बिल की राशि भी जमा कर दी गई है। दशा में आवेदकगण/आरोपीगण प्रत्येक की ओर से 10,000/- (दस हजार रुपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये।

प्रकरण में आरोपी में आरोपी सिरनामसिंह अभी उपस्थित नहं है। उक्त आरोपी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जावे।

प्रकरण आरोपी सिरनाम की उपस्थिति हेतु दिनांकको पेश हो।

(डी.सी.थपलिया)

विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)